यूआईटी। अधिकृत को ही मिलेगें दस्तावेज

सिंगल विंडो पर होंगे काम

यूआईटी की एकल खिड़की पर अब बुधवार से एक ही आवेदन पर योजना शाखा से संबधित कई काम एक साथ होंगे। खिड़की से अब दस्तावेज अधिकृत व्यक्ति को ही मिलेगें।

यूआईटी सचिव अशफाक हुसैन के अनुसार अब तक न्यास की योजना शाखा से संबंधित कब्जा प्राप्त करना, लीज मनी जमा कराना, लीज डीड निष्पादित करना,हस्तान्तरण अनुमति व नामान्तरण, अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कामों के लिए हर बार नया आवेदन करना पड़ता था। अब योजना शाखा से संबंधित सभी कार्यवाई एक ही फार्म से होगी। उन्होने बताया कि प्रार्थी स्वयं शपथ पत्र पर यह घोषणा करेगा कि उसके भूखंण्ड पर भवन निर्मित है या नही। यदि नही है तो अवधि विस्तार होगी। यदि है तो प्रार्थी आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र भूखण्ड के आकार के अनुसार भरकर व नक्शे लगा कर प्रस्तुत करेगा। इससे प्रक्रिया सरल होगी व समय की बचत व काम जल्दी होगा। लीज डीड प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए नया फार्म प्रस्तुत करना होगा। यह योजना क्षेत्र व नियमन के भूखण्डों पर सामान रूप से लागू होगी।

विशेषाधिकारी अनुराग भार्गव के अनुसार इसके अलावा भूखण्ड के मूल आवंटी किसी भी व्यक्ति को पावर ऑफ अटार्नी देता है तो पावर यूज करने वाला व्यक्ति शपथ पत्र देकर काम कर सकता है। किसी एक आवंटी को भूखण्ड की लीज डीड पंजीकृत कराने के उपरांत कब्जा पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, हस्तान्तरण आदेश, भवन निर्माण अवधि विस्तार, वन मानचित्र की आवश्यकता है, तो वह एक ही आवेदन कर सकेगा। इस योजना में समस्त कार्यो के आधार पर समय दिया जाएगा जिससे आवेदक अपने आवेदन पत्र का प्रति उत्तर प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र कार्य दिवस में सुबह 9.30 से 4 बजे तक प्राप्त किए जाऐंगे। इससे संबंधित प्रति उत्तर सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक लौटाए जाएगंे। आवेदन पत्र जमा करवाने वाले, तैयार दस्तावेज, आदेश ले जाने वाले, अधिकृधिकृत किए गए व्यक्ति के पास उसका फोटोयुक्त पहचान पत्र होना आवश्यक है जिन्हें एकल खिड़की पर दिखाने पर ही अग्रिम कार्यवाही होगी।